न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्री अतुल प्रकाश आई.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 2/2016 GCMS NO 2002/00013

दायरा तिथि : 07.09.2016

आदेश तिथि : 30-9-2021

प्रार्थीगण :–

1. श्री उम्मेदसिंह पुत्र थानसिंहजी जाति रावणा राजपुत
2. श्री भैरूसिंह पुत्र थानसिंहजी जाति रावणा राजपुत
3. श्री इन्द्रसिंह पुत्र थानसिंहजी जाति रावणा राजपुत
4. श्री जयपालसिंह पुत्र थानसिंहजी जाति रावणा राजपुत
5. श्री गजेन्द्रसिंह पुत्र थानसिंहजी जाति रावणा राजपुत
   निवासीगण मालारी तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

ब ना म

अप्रार्थीगण :–

1. खंगाराराम पुत्र भबुताराम
2. विरमाराम पुत्र भबूताराम
3. भूराराम पुत्र भबूताराम
4. खंगारा पुत्र खेता जातिगण सरगरा निवासी मालारी तहसील बाली
5. तेजाराम पुत्र पेमा
6. हेमाराम पुत्र पेमा
7. चुन्नीलाल पुत्र पेमा
8. लुम्बाराम पुत्र पेमा
9. मुली पत्नि पेमा कौम मेघवाल निवासी मालारी तहसील बाली (फौत होने से डिलिट)
10. मगाराम पुत्र भुराराम
11. कलाराम पुत्र भुराराम
12. सजाराम पुत्र भुराराम
13. लेहरी पुत्री भुराराम
14. अंशीदेवी पत्नि भूराराम
15. कंकुदेवी पुत्री गोमा के कामु:–
    15/1 प्रतापराम पुत्र सरूपजी मेगवाल
    15/2 मोहनलाल पुत्र सरूपजी मेगवाल
    15/3 वरदाराम पुत्र सरूपजी मेगवाल निवासीगण शिवतलाव तहसील बाली
    15/4 नेनुदेवी पत्नि सेसाराम मेगवाल निवासी लुणावा
16. धापुदेवी पुत्री गोमा के कामु:–
    16/1 मांगीलाल पुत्र खीमजी मेगवाल
    16/2 फुयारीम पुत्र खीमजी मेगवाल
    16/3 मोडाराम पुत्र खीमजी मेगवाल निवासीगण जूणा तहसील देसूरी
    16/4 जतनोबाई पुत्री खीमजी पत्नि कपुराराम मेघ्वाल निवासी लाटाडा तहसील बाली
17. भबूताराम पुत्र वगताराम जाति सरगरा
    निवासी प्लोट नंबर 34 सत्यम हास्पीटल के सामने यु.आई.टी. चौराहा जोधपुर

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश

दिनांक : 30-9-2021

प्रार्थीगण ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर स्वयं की धारित खातेदारी भूमि मौजा मालारी तहसील बाली के खसरा नंबर 609, 610, 612 रकबा क्रमशः 0.46 हैक्टर, 0.44 हैक्टर, 0.86 हैक्टर में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से ग्राम मालारी के खसरा नंबर 605, 606, 607 किस्म बारानी अव्वल मेंसे प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शित मार्ग से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

पेज लगातार......02

उपखण्ड अधिकारी बाली जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 2/2016 GCMS NO 2002/00013
अनवान उम्मेदसिंह वगैरा बनाम खंगाराराम वगैरा
अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, मुण्डारा ने जांच कर रिपोर्ट जरिये पत्रांक राजस्व/2017/608 दिनांक 22.03.2017 से प्रस्तुत की। तहसीलदार, बाली की जांच रिपोर्ट अनुसार :-

1.ग्राम मालारी तहसील बाली के खसरा नंबर 609 रकबा 0.48 हैक्टर एवं गजेन्द्रसिंह पि. थानसिंह वगैरा जाति रावणा राजपुत निवासी मालारी तहसील बाली के नाम से खातेदारी दर्ज हैं व खसरा नंबर 612 रकबा 0.86 हैक्टर श्री उम्मेदसिंह, भैरूसिंह, इन्द्रसिंह, जयपालसिंह, गजेन्द्रसिंह पि. थानसिंहजी, पुष्पा कंवर, सविता कंवर पुत्रिया थानसिंह, पवनकंवर बेवान थानसिंह 1/2 कौम रावणा राजपुत निवासी मालारी तहसील बाली ऊंकारलाल पुत्र लालूजी कौम मेघवाल निवासी मदार, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज हैं।

2. रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानूसार है :-

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षैत्रफल	नाम खातेदार
1	605	0.50 हैक्टर	64X4.57= 292.48 वर्गमीटर	खंगारराम पुत्र भवूताराम 1/4 कौम सरगरा भवुताराम पुत्र दगताराम जाति सरगरा निवासी प्लोट नंबर 34 सत्यम हास्पीटल के सामने यू.आई.टी. चौराहा जोधपुर खंगारा पुत्र खेता कौम सरगरा 3/4 सा.देह खातेदार
2	606	0.29 हैक्टर	38X4.57= 173.66 वर्गमीटर	तेजाराम हेमाराम चुन्नीलाल लुम्बाराम पिसरान् पेमा सुमटी पुत्री पेमाराम कौम सरगरा नि. मालारी
3	607	0.16 हैक्टर	38X4.57= 173.66 वर्गमीटर	मगाराम कलाराम सवाराम पि. भूराराम लेहरी पुत्री भूराराम अंशीदेवी पत्नि भूराराम स्व. कंकु, धापु के कामु: प्रतिवादी संख्या 15 व 16

3. प्रस्तावित भूमि ग्राम मालारी की डी.एल.सी.दर 158760/- रूपये प्रति हैक्टर है।

4.प्रस्तावित रास्ते की भूमि में कोई भी वृक्ष पक्का निर्माण कार्य इत्यादि अन्य कोई क्षति नहीं हैं।

प्रकरण में तहसीलदार, बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी की मांग अनुसार रास्ता दिये जाने बावत अनुशंषा की गई। प्रकरण के चलते अप्रार्थी संख्या 02 व 03 के द्वारा अपने हिस्से की भूमि का बेचान भबूताराम पुत्र वगताराम को किया जाने से तथा नामा.करण संख्या 292 दिनांक 25.07.2018 के खरिदकर्ता भबुताराम पुत्र वगताराम जाति सरगरा निवासी जोधपुर खातेदार दर्ज होने से प्रकरण में बतौर अप्रार्थी संख्या 17 पक्षकार बनाया गया। इसी प्रकार कार्यवाही के चलते अप्रार्थी संख्या-09 मूली पत्नि पोमला फौत होने से उनके कायम मुकाम को रेकर्ड पर लिया गया। इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 15 व 16 यथा कंकु व धापु पुत्रिया गोमा फौत होने से उनके विधिक वारिशान को रेकर्ड पर लिया गया। प्रकरण में वर्णित अप्रार्थीगण की तलबी के चलते राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार, 2017 में केम्प कोर्ट के नोटिस जारी किये जाने पर अप्रार्थी खंगारा, सजाराम, भुदाराम ने उपस्थित होकर इस आशय की आपत्ति पेश की गई कि आवेदक की खातेदारी भूमि में जाने के लिये गांव मालारी से रास्ता जाता है, वो रास्ता प्रार्थी पक्ष ने बंद कर दिया है तथा नया रास्ता शिवतलाव से मांगा है, जो प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये जाने पर अप्रार्थी संख्या 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 की ओर से वकील श्री विरमदेवसिंह द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। परन्तु अधिवक्ता विरमदेवसिंह सोनिगरा द्वारा आदिनांक तक किसी प्रकार का एतराज/ आपत्ति पेश नहीं की गई। इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 9,11, 13, 14, 15, 16 बावजुद नोटिस तामील के वकालतन/असालतन अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की जाती हैं। अप्रार्थी संख्या-17 की आरे से वकील श्री हुक्कमसिंह चंपावत ने वकालतनामा पेश कर दिनांक 12.06.2019 को प्राथमिक आपत्ति पेश कर निम्न आधारो पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया:-

1. कि प्रार्थी द्वारा रेवेन्यु कोर्ट मैनुअल 1956 (पार्ट-II) के नियम 15, 16, 28, 29 व 36 की पालना नहीं की गयी हैं।
2. कि उक्त नियमों की पालना के अभाव में प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश ही नहीं किया जा सकता था।
3. कि उक्त नियम आज्ञापक हैं जिसकी पालना किया जाना प्रार्थी के लिये आवश्यक था।
4. कि उक्त नियमों की पालना के अभाव में नियम 21 के तहत प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का आज्ञापक प्रावधान हैं।
5. कि अन्य आधार बहस के समय के समय निवेदन किया जायेगें।

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

पेज लगातार........03

उपखण्ड अधिकारी बाली जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

/ / 03 / /

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 2 / 2016 GCMS NO 2002 / 00013
अनवान उम्मेदसिंह वगैरा बनाम खंगाराराम वगैरा
अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

अप्रार्थी संख्या–17 द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक आपत्तियो का जबाव प्रार्थीगण ने दिनांक 29.07.2019 को पेश कर अप्रार्थी संख्या–17 द्वारा प्रस्तुत आपत्तियो को निम्न आधारो पर खारिज किये जाने का निवेदन किया:–

1. कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधित अधिनियम, 2012 की धारा 251(ए) में वर्णित व निर्धारित प्रारूप में अपनी खातेदारी भूमि में आवागन के लिये रास्ता उपलब्ध नहीं होने से नये रास्ते की मांग की गई थी जिससे अप्रार्थी खंगाराराम की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 605 मेसें भी रास्ता चाहा गया। निर्धारित प्रारूप में आवेदन करने से अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र बाबत् रेवेन्यु कोर्ट मेन्युअल के प्रावधानो की पालना किये जाने बाबत् निरस्त योग्य हैं।
2. कि धारा 251(ए) एक समरी प्रोसिडिंग हैं जिसमें 90 दिन की अवधि में जॉच करते हुए प्रकरण को निस्तारित किये जाने हेतु प्राविधित किया गया हैं। उक्त प्रकरण में तहसीलदार, बाली द्वारा वांछित जांच रिपोर्ट अपने कार्यालय पत्रांक 608 दिनांक 22.03.2017 से न्यायालय को प्रेषित कर दी हैं। अप्रार्थी द्वारा प्रकरण को अनावश्क रूप से विलम्ब करने के उद्देश्य से उक्त आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, जो खारिज किये जाने योग्य हैं।

प्राथमिक आपत्तियों का जबाव प्रार्थी पक्ष की ओर से प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् उभय पक्ष वकुलाय की प्राथमिक आपत्तियों पर बहस सुनी गई। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् प्रकरण में वकील प्रार्थी द्वारा शीर्षक पेश नहीं करना पाया जाने से वकील प्रार्थी को संशोधित शीर्षक प्रस्तुती के निर्देश दिये गये तथा वकील आपत्ति कर्ता को रेवेन्यु कोर्ट मैन्युअल अथवा राजस्व मंडल अजमेर के निर्देश / परिपत्र अथवा अन्य विधिक प्रावधान के साक्ष्य प्रस्तुती के निर्देश दिये गये। वकील प्रार्थी पक्ष द्वारा न्यायालय आदेश की पालना में प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10(2) सी.पी. सी. पेश किया। जिस प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष वकुलाय को सुनने के पश्चात् न्यायालय आदेशिका दिनांक 11.8.2021 से प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10(2) सी.पी.सी. स्वीकार करते हुये खसरा नंबर 605 के नवीन खातेदार क्रेता भबूताराम पुत्र वगताराम सरगरा निवासी प्लोट नंबर 34, सत्यम हॉस्पीटल के सामने, यू.आई.टी. चौराहा– जोधपुर को बतौर अप्रार्थी पक्षकार बनाये जाने के आदेश दिये गये तथा पत्रावली को मूल प्रकरण धारा 251(ए) RTA की बहस के लिये रखा गया।

प्रकरण में वकील प्रार्थीगण श्री सोहनसिंह सोलंकी द्वारा बहस में प्रार्थना पत्र धारा 251 ए में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये दलील दी गई कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम मालारी के खसरा नंबर 609, 610, 612 में आवागमन के लिये कोई रास्ता नहीं होने से नवीन रेकर्डेड रास्ता की मांग की गई है, जिस सदर्भ में तहसीलदार, बाली व उसके अधिनस्थ कार्मिको पटवारी व निरीक्षक भू0अभिलेख द्वारा रेकर्ड व मौका स्थिति की जांच के पश्चात् विस्तृत जांच प्रतिवेदन दिनांक 22.03.2017 से प्रस्तुत करते हुये प्रार्थीगण के आवेदन अनुसार रास्ता दिये जाने बाबत् अनुशंषा भी कर दी गई हैं। अप्रार्थी पक्ष द्वारा प्रकरण को डिले करने के लिये अनावश्यक आपत्तियॉ पेश की गई। धारा 251(ए) के आज्ञापक प्रावधान 90 दिवस की अवधि में प्रकरण को निस्तारण के होने के बावजुद अनावश्यक विलम्ब हुआ है। अतः विधि के प्रावधानो अनुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार करते हुये तहसीलदार, बाली द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण को रास्ता दिलाये जाने की दलील दी गई। इसके विपरित अधिवक्ता श्री हुक्कमसिंह चम्पावत एवं श्री समुन्दरसिंह राजपुरोहित द्वारा दलील दी गई कि प्रार्थीगण का आवेदन पत्र रेवेन्यु कोर्ट मैनुअल 1956(पार्टी–II) के नियम 15, 16, 28, 29 0 36 की पालना के अभाव में नियम 21 के तहत खारिज योग्य होने से खारिज किये जाने की दलील दी गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् हस्तगत् प्रकरण में यह स्वीकार्य तथ्य हैं कि आवेदकगणो की खातेदारी भूमि ग्राम मालारी के खसरा नंबर 609, 610 व 612 तक रेकर्डेड पहुँच मार्ग उपलब्ध नहीं होने से प्रार्थीगण द्वारा उक्त आवेदन पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251(ए) के तहत प्रस्तुत किया गया। जिस प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार, बाली से जांच रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी हैं। तहसीलदार, बाली अपनी जांच रिपोर्ट में यह स्वीकार करते हैं कि आवेदकगण की खातेदारी भूमि तक पहुँच मार्ग उपलब्ध नहीं है, तथा प्रार्थीगण की मांग अनुसार आवेदित खसरा नंबर 605, 606, 607 मेंसे रास्ता दिये जाने बाबत् अनुशंषा भी कर दी गई हैं धारा 251(ए) के आज्ञापक प्रावधानो के अनुसार 90 दिवस की अवधि में ऐसे प्रकरणो का निस्तारण आवश्यक हैं। वकील अप्रार्थी पक्ष द्वारा ऐसी कोई आपत्ति पेश नहीं की गई, जिससे यह सावित हो कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि तक रेकर्डेड पहुँच मार्ग उपलब्ध है। जिससे प्रार्थीगण की दलीलो को मानने में कोई एतराज / आपत्ति नहीं हैं।

उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला - पाली

पेज लगातार..............

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 2/2016 GCMS NO 2002/00013

अनवान उम्मेदसिंह वगैरा बनाम खंगाराराम वगैरा

अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तथा अप्रार्थी को अपना पक्ष रखने के लिये पर्याप्त समय अवसर दिये जाने के बावजुद कोई संतोषजनक आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मौजा मालारी तहसील बाली के खसरा 609, 610, 612 में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम मालारी के खसरा नंबर **605, 606, 607 मेंसे कुल 639.80 वर्गमीटर रास्ता** नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत अप्रार्थी को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है।

राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :–

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षैत्रफल	डी.एल. सी. दर (प्रति व.मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि डी.एल.सी. दर 158760/– प्रति हैक्टर की दर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
605	0.50	64X4.57=292.48 वर्गमीटर	15.88	**4645 X2=9289**	खंगारराम पुत्र भवूताराम 1/4 कौम सरगरा भवुताराम पुत्र वगताराम जाति सरगरा निवासी प्लोट नंबर 34 सत्यम हास्पीटल के सामने यू. आई.टी. चौराहा जोधपुर खंगारा पुत्र खेता कौम सरगरा 3/4 सा.देह खातेदार
606	0.29	38X4.57=173.66 वर्गमीटर	15.88	**2758X2=5515**	तेजाराम हेमाराम चुन्नीलाल लुम्बाराम पिसरान् पेमा सुमटी पुत्री पेमाराम कौम सरगरा नि. मालारी
607	0.16	38X4.57=173.66 वर्गमीटर	15.88	**2758x2=5515**	मगाराम कलाराम सवाराम पि. भूराराम लेहरी पुत्री भूराराम अंशीदेवी पत्नि भूराराम स्व. कंकु. धापु के कामुः प्रतिवादी संख्या 15 व 16
	योग	639.80 वर्गमीटर	15.88	20319/–रूपये	

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार **20319/– (अक्षरे बीस हजार तीन सौ उन्नीस मात्र)** रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर प्रभावित खातेदारान् को अदा की जावेगी। प्रभावित खातेदार द्वारा प्रतिकर राशि नहीं लिये जाने की दशा में आवेदक द्वारा नियमानुसार राशि तहसील कार्यालय बाली मे जमा कराई जायेगी। तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(श्री अतुल प्रकाश)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, बाली
बाली,जिला-पाली (राज.)

पत्रांक : कोर्ट/2021/ 2188–2192

दिनांक 30-09.2021

प्रतिलिपि पालनार्थ :–

1. तहसीलदार बाली
2. भू.अ.निरीक्षक मुण्डारा
3. पटवारी हल्का शिवतलाव
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदकगण उम्मेदसिंह पुत्र थानसिंहजी जाति रावणा राजपुत निवासीगण मालारी तहसील बाली को सुचनार्थ।

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बाली
उपखण्ड अधिकारी
बाली,जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner